

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच—एचए(1)2/2019— विभाजन/पुर्नगठन:- 60187-197.18 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच—एचए(1)2/2019—
विभाजन/पुर्नगठन—55328—337 दिनांक 27.08.2020 के अन्तर्गत जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को
विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना
द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त शिमला को इस
सम्बन्धित में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने
के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर उपायुक्त जिला
शिमला की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के
विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आशिक
संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3
की उप-धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला के निम्न
अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4
की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते
हैं।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2-क) तथा धारा
(3-क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत¹
ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को
प्रभावित नहीं करेगा।

क्रमांक	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड चौपाल:					
	1 वोहर	1 खखरोना	बागन	1 वागन	1 खखरोना	
		2 सुनारली		2 डकेड	2 सुनारली	
		3 बोर		3 रोहाणा	3 बोर	
		4 बागन			4 गुमा	

		5 रोहाणा			
		6 गुमा			
		7 डकेड़			
2	विकास खण्ड कुपवी				
2 मालत	1 दोची	कोठी आहनोग	1 दोची	1 चीन्द	
	2 कोठी		2 कोठी	2 धारछडी	
	3 आहनोग		3 आहनोग	3 सेरटी	
	4 चीन्द			4 मालत	
	5 धारछडी				
	6 सेरटी				
	7 मालत				
3	विकास खण्ड रोहदू				
1 लोयर कोटी	1 लोअरकोटी	पारसा	1 पारसा	1 लोअरकोटी	
	2 छुपाडी			2 छुपाडी	
	3 पारसा				
4	विकास खण्ड मशोबरा				
1 दरभोग	1 नाला	नाला काछट जटोल डमैहर नम्बेली वींचड दरभोग मोड काग पराडी खील भाईला बगनाकलां बगनाखुद्र जंगल काचटनाला जंगल जटोल जंगल दोयमकाग जंगल दोयममोड पराडी जंगल मनून जंगल डुमैहर	1 नाला	1 जटोल	
	2 काछट		2 काछट	2 डुमैहर	
	3 जटोल		3 जंगल काछटनाला	3 नम्बेली	
	4 डमैहर		4 जंगल राजिन्द्र रख	4 वींचड	
	5 नम्बेली			5 दरभोग	
	6 वींचड			6 मोड	
	7 दरभोग			7 काग	
	8 मोड			8 पराडी	
	9 काग			9 खील भाईला	
	10 पराडी			10 बगनाकलां	
	11 खील भाईला			11 बगनाखुद्र	
	12 बगनाकलां			12 जंगल जटोल	
	13 बगनाखुद्र			13 जंगल दोयम	
	14 जंगल काचटनाला			14 जंगल दोयम मोड पराडी	
	15 जंगल जटोल			15 जंगल मनून	
	16 जंगल दोयमकाग			16 जंगल डुमैहर	
	17 जंगल दोयममोड पराडी			17 जघोग	
	18 जंगल मनून			18 सेरी डगौण	
	19 जंगल				

	राजिन्द्र रख			
	20 जंगल डुमैहर			
	21 जघोग			
	22 सेरी डगौण			

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० संख्या: उपरोक्त- 60187-197 दिनांक 18 सितम्बर, 2020
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. जिला पचांयत अधिकारी शिमल जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला शिमला, हिमाचलप्रदेश।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।